

24<sup>6</sup>/<sub>24</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी श्री शिव  
लाल परिहार उपस्थित। वकील प्रतिवादी  
श्री जयकिशोर लखारा उपस्थित। वकील  
प्रतिवादी ने वादग्रस्त भूमि ग्राम भंदर के  
खसरा नं. 2768 व 2768/1 दोनों खसरो  
की नवीन जमाबंदिया ऑनलाईन की पेश  
कर दलील दी कि वादी द्वारा दोनों  
खसरो की भूमियों का बेचान कर दिया

3

P. T. O.

हैं। जिससे वाद हेतु नहीं रहने से  
 वाद खारिज किए जाने की दलील दी।  
 दोनों पक्षों के अधिवक्तागणों को सुना  
 गया दोनों अधिवक्ता सहमत होने तथा  
 ग्राम भंदर स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नं.  
 2768 रकबा 0.5 हेक्टेयर व खसरा नं.  
 2768<sup>1/4</sup> रकबा 0.52 हेक्टेयर के खातेदार  
 वर्तमान में वादीगण नहीं रहकर मु-पु-ब-  
 मेहताश्रुविनोदजी मेहता जाति जैन सा.  
 जवाईबांध रोड सुमेशपुर दर्ज होने से वादी  
 गण का वाद बाबत सार्वकालिक निषेधाज्ञा  
 खारिज किया जाता है। पत्रावली फेंसल  
 शुमार लेकर नंबर से ~~कम~~ हो।



3  
 सहायक कमिश्नर एवं पदेन  
 उपखण्ड अधिकारी, बाली